संख्या–5/बजट 1–05/2016 सा0-43.....

बिहार सरकार

स्पीड पोस्ट/ई–मेल

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

दयानिधान पाण्डेय
भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार (बक्सर को छोड़कर)।

पटना, दिनांक-27/10/ 2016

विषयः– **बजट मुख्य शीर्ष 2053–जिला प्रशासन–00–094–अन्य स्थापनाएँ–0001– अनुमंडलीय स्थापना (विपत्र कोड N2053000940001) मांग संख्या–33 के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 में व्यय के लिए कुल ₹ 9,23,31,000/– (नौ करोड़ तेईस लाख इकतीस हजार रूपये) मात्र का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2053–जिला प्रशासन–00–094–अन्य स्थापनाएँ–0001–अनुमंडलीय स्थापना (विपत्र कोड N2053000940001) मांग संख्या–33 के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 में व्यय के लिए कुल ₹ 9,23,31,000/– (नौ करोड़ तेईस लाख इकतीस हजार रूपये) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक 2793 दिनांक 04.04.2016 एवं 4572 दिनांक 03.06.2016 के आलोक में दिया जा रहा है।
3. राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561 दिनांक 17 अप्रैल 1998 एवं एतद् संबंधी अन्य पत्रों के आलोक में किया जायेगा।
4. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मी को ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
5. व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ विषय शीर्ष में आवंटित राशि से सर्वप्रथम संविदा पर कार्यरत कर्मियों के मानदेय का भुगतान किया जायेगा।
6. जिस पद के विरुद्ध संविदा पर कर्मी नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से किया जाये।
7. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
8. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
9. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
10. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

11. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
13. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।
14. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।

अनु0:– यथोक्त।

विश्वासभाजन

(दयानिधान पाण्डेय)
सरकार के अपर सचिव

संख्या–5/बजट 1–05/2016 सा0–.....

बिहार सरकार

स्पीड पोस्ट/ई–मेल **सामान्य प्रशासन विभाग**

प्रेषक,

दयानिधान पाण्डेय
भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार (बक्सर को छोड़कर)।

पटना, दिनांक– 2016

विषयः– **बजट मुख्य शीर्ष 2053–जिला प्रशासन–00–094–अन्य स्थापनाएँ–0001– अनुमंडलीय स्थापना (विपत्र कोड N2053000940001) मांग संख्या–33 के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 में व्यय के लिए कुल ₹ 9,23,31,000/– (नौ करोड़ तेईस लाख इकतीस हजार रूपये) मात्र का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2053–जिला प्रशासन–00–094–अन्य स्थापनाएँ–0001–अनुमंडलीय स्थापना (विपत्र कोड N2053000940001) मांग संख्या–33 के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 में व्यय के लिए कुल ₹ 9,23,31,000/– (नौ करोड़ तेईस लाख इकतीस हजार रूपये) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक 2793 दिनांक 04.04.2016 एवं 4572 दिनांक 03.06.2016 के आलोक में दिया जा रहा है।
3. राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561 दिनांक 17 अप्रैल 1998 एवं एतद् संबंधी अन्य पत्रों के आलोक में किया जायेगा।
4. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मी को ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
5. व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ विषय शीर्ष में आवंटित राशि से सर्वप्रथम संविदा पर कार्यरत कर्मियों के मानदेय का भुगतान किया जायेगा।
6. जिस पद के विरुद्ध संविदा पर कर्मी नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से किया जाये।
7. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
8. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
9. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
10. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

11. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
13. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।
14. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।

अनु0:– यथोक्त।

विश्वासभाजन
ह0/–
(दयानिधान पाण्डेय)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–5/बजट 1–05/2016 सा0–43 / पटना, दिनांक–24/10/2016

प्रतिलिपि :– महालेखाकार बिहार, पटना/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

वित्तीय वर्ष 2016–17 में व्यय के लिए (मुख्य शीर्ष–2053–जिला प्रशासन–094–अन्य स्थापनाएं–0001–अनुमण्डलीय स्थापना) आवंटन :–

क्र0 सं0	जिला का नाम	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	कार्यालय व्यय	वाहन का ईंधन एवं रख–रखाव	दूरभाष	विद्युत प्रभार	व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	कुल
		06 01	13 01	13 02	13 03	13 04	28 01	
		12	13	14	15	16	17	18
1	पटना	0	20,00,000	10,00,000	1,00,000	2,00,000	10,00,000	**44,00,000**
2	भोजपुर	0	3,00,000	3,00,000	45,000	7,00,000	3,00,000	**16,75,000**
3	कैमूर(भभुआ)	0	3,00,000	3,00,000	40,000	4,00,000	3,00,000	**26,88,000**
4	मुजफ्फरपुर	0	6,00,000	5,00,000	50,000	5,00,000	5,00,000	**22,00,000**
5	सीतामढ़ी	0	3,00,000	3,00,000	45,000	3,00,000	2,00,000	**11,75,000**
6	पू0चम्पारण	0	3,00,000	3,00,000	43,000	5,00,000	3,00,000	**14,73,000**
7	प0चम्पारण	0	3,00,000	3,00,000	43,000	4,00,000	3,00,000	**13,73,000**
8	शिवहर	0	2,00,000	2,00,000	30,000	2,00,000	2,00,000	**8,60,000**
9	वैशाली	0	3,00,000	2,00,000	40,000	3,00,000	2,00,000	**10,70,000**
10	दरभंगा	0	4,00,000	5,00,000	50,000	5,00,000	5,00,000	**20,00,000**
11	समस्तीपुर	0	4,00,000	3,00,000	50,000	4,00,000	3,00,000	**14,80,000**
12	सारण	0	3,00,000	3,00,000	40,000	5,00,000	3,00,000	**14,70,000**
13	सिवान	46,000	3,00,000	3,00,000	42,000	10,00,000	2,00,000	**19,18,000**
14	गोपालगंज	0	3,00,000	2,00,000	40,000	3,00,000	2,00,000	**10,70,000**
15	भागलपुर	0	4,00,000	5,00,000	60,000	8,00,000	5,00,000	**230,90,000**
16	बांका	0	2,00,000	2,00,000	40,000	2,00,000	2,00,000	**8,70,000**
17	मुंगेर	0	6,00,000	5,00,000	60,000	6,00,000	5,00,000	**23,10,000**
18	लक्खीसराय	0	2,00,000	1,00,000	30,000	3,00,000	2,00,000	**8,60,000**
19	जमुई	0	2,00,000	1,00,000	30,000	3,00,000	2,00,000	**24,75,500**
20	खगड़िया	0	6,00,000	5,00,000	60,000	4,00,000	5,00,000	**21,10,000**
21	बेगूसराय	0	3,00,000	2,00,000	40,000	4,00,000	3,00,000	**12,70,000**
22	पूर्णियां	0	6,00,000	5,00,000	60,000	3,00,000	5,00,000	**20,10,000**
23	कटिहार	0	4,00,000	2,00,000	50,000	5,86,000	2,00,000	**22,39,800**
24	अररिया	0	2,00,000	1,00,000	30,000	2,00,000	2,00,000	**7,60,000**
25	किशनगंज	0	2,00,000	1,00,000	30,000	2,00,000	2,00,000	**7,60,000**
26	सहरसा	0	6,00,000	5,00,000	60,000	6,00,000	5,00,000	**23,10,000**
27	मधेपुरा	0	3,00,000	2,00,000	40,000	2,00,000	2,00,000	**9,70,000**
28	सुपौल	0	2,00,000	2,00,000	30,000	4,00,000	2,00,000	**10,60,000**
29	औरंगाबाद	0	2,00,000	2,00,000	40,000	2,00,000	2,00,000	**79,63,700**
30	मधुबनी	0	4,00,000	3,00,000	40,000	3,00,000	3,00,000	**13,70,000**
31	रोहतास	0	3,00,000	2,00,000	50,000	8,00,000	3,00,000	**16,80,000**
32	नालंदा	0	6,00,000	4,00,000	1,00,000	6,00,000	4,00,000	**81,40,000**
33	गया	0	6,00,000	5,00,000	1,00,000	6,00,000	5,00,000	**23,50,000**
34	नवादा	0	2,00,000	2,00,000	50,000	2,00,000	2,00,000	**8,80,000**
35	जहानाबाद	0	2,00,000	2,00,000	40,000	2,00,000	2,00,000	**8,70,000**
36	अरवल	0	2,00,000	1,00,000	40,000	1,00,000	1,00,000	**5,70,000**
37	शेखपुरा	0	2,00,000	1,00,000	30,000	1,00,000	1,00,000	**5,60,000**
	कुल योग –	**46,000**	**142,00,000**	**111,00,000**	**17,68,000**	**147,86,000**	**115,00,000**	**923,31,000**

(नौ करोड़ तेईस लाख इकतीस हजार रूपये) मात्र।

सरकार के अपर सचिव
सामान्य प्रशासन विभाग

वित्तीय वर्ष 2016–17 में व्यय के लिए (मुख्य शीर्ष–2053–जिला प्रशासन–094–अन्य स्थापनाएं–0001–अनुमण्डलीय स्थापना) आवंटन :–

क्र0 सं0	जिला का नाम	वेतन	जीवन यापन भत्ता	मकान किराया भत्ता	चिकित्सा भत्ता	अन्य भत्ता	योग–वेतन एवं भत्ते	यात्रा व्यय
		01 01	01 03	01 04	01 06	01 07		11 01
1	2	3	5	6	8	9	10	11
1	पटना	0	0	0	0	0	**0**	1,00,000
2	भोजपुर	0	0	0	0	0	**0**	30,000
3	कैमूर(भभुआ)	5,65,000	7,07,000	42,000	4,000	0	**13,18,000**	30,000
4	मुजफ्फरपुर	0	0	0	0	0	**0**	50,000
5	सीतामढ़ी	0	0	0	0	0	**0**	30,000
6	पू0चम्पारण	0	0	0	0	0	**0**	30,000
7	प0चम्पारण	0	0	0	0	0	**0**	30,000
8	शिवहर	0	0	0	0	0	**0**	30,000
9	वैशाली	0	0	0	0	0	**0**	30,000
10	दरभंगा	0	0	0	0	0	**0**	50,000
11	समस्तीपुर	0	0	0	0	0	**0**	30,000
12	सारण	0	0	0	0	0	**0**	30,000
13	सिवान	0	0	0	0	0	**0**	30,000
14	गोपालगंज	0	0	0	0	0	**0**	30,000
15	भागलपुर	90,00,000	108,00,000	7,00,000	2,00,000	80,000	**207,80,000**	50,000
16	बांका	0	0	0	0	0	**0**	30,000
17	मुंगेर	0	0	0	0	0	**0**	50,000
18	लक्खीसराय	0	0	0	0	0	**0**	30,000
19	जमुई	6,00,000	7,50,000	2,70,000	0	5,500	**16,25,500**	20,000
20	खगड़िया	0	0	0	0	0	**0**	50,000
21	बेगूसराय	0	0	0	0	0	**0**	30,000
22	पूर्णियां	0	0	0	0	0	**0**	50,000
23	कटिहार	95,000	1,59,000	4,65,000	45,000	9,800	**7,73,800**	30,000
24	अररिया	0	0	0	0	0	**0**	30,000
25	किशनगंज	0	0	0	0	0	**0**	30,000
26	सहरसा	0	0	0	0	0	**0**	50,000
27	मधेपुरा	0	0	0	0	0	**0**	30,000
28	सुपौल	0	0	0	0	0	**0**	30,000
29	औरंगाबाद	31,00,000	39,00,000	63,000	28,000	2,700	**70,93,700**	30,000
30	मधुबनी	0	0	0	0	0	**0**	30,000
31	रोहतास	0	0	0	0	0	**0**	30,000
32	नालंदा	25,00,000	30,00,000	3,00,000	1,00,000	1,00,000	**60,00,000**	40,000
33	गया	0	0	0	0	0	**0**	50,000
34	नवादा	0	0	0	0	0	**0**	30,000
35	जहानाबाद	0	0	0	0	0	**0**	30,000
36	अरवल	0	0	0	0	0	**0**	30,000
37	शेखपुरा	0	0	0	0	0	**0**	30,000
	कुल योग –	**158,60,000**	**193,16,000**	**18,40,000**	**3,77,000**	**1,98,000**	**375,91,000**	**13,40,000**

contd....